अध्याय-6

मस्टर रोल तथा मजदूरी का भुगतान

अध्याय 6

मस्टर रोल तथा मजदूरी का भुगतान

6.1 मस्टर रोल

परिचालन मार्गदर्शिका 2008 के कंडिका 9.4 के अनुसार प्रत्येक मस्टर रोल एक विशिष्ट पहचान संख्या के साथ कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायतो एवं सभी कार्यकारी अभिकरणों को निर्गत किया जाएगा। मस्टर रोलों का संधारण ग्राम पंचायतों एवं अन्य कार्यकारी अभिकरणों द्वारा किया जाना था। जिसमें कि अन्य बातों के अलावा, कार्यरत व्यक्ति का नाम के संबंध में जानकारी, जॉब-कार्ड संख्या, उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के दिवस तथा भुगतान की गई मजदूरी की राशि की जानकारी रहनी चाहिए थी, मूल मस्टर रोल कार्यकारी अभिकरण के खर्चों के अभिलेख का हिस्सा बनेगा। जबकि मस्टर रोल की छाया प्रति प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में डाटा के समन्वयन एवं जन निरीक्षण हेतु रखी/भेजी जाएगी। कोई भी मस्टर रोल जो कार्यक्रम कार्यालय से निर्गत नहीं की गई है उसे अनाधिकृत माना जाएगा।

6.1.1 मस्टर रोल में अनियमितताएं

छः नमूना जाँच वाले जिलों के अभिलेखों की जाँच से मस्टर रोल के प्रयोग में कमियों का पता चलता है कुछ उदाहरण निम्नलिखित है:-

कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा मस्टर रोल निर्गत किये जाने के पहले ही इसके प्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 9.20 लाख की मजदूरी का अनाधिकृत भुगतान हुआ

- पाकुड़ एवं दुमका जिलों के सदर प्रखण्डों के नौ नमूना जाँच वाले ग्राम पंचायतों[1] में कार्यक्रम पदाधिकारी (का.पदा.) द्वारा निर्गत किये जाने के पहले ही मास्टर रोलों को उपयोग में लाया गया था। परिणामस्वरूप, 250 मस्टर रोलों[2] के विरूद्ध ₹ 9.20 लाख की मजदूरी का अनाधिकृत भुगतान हुआ।
- दुमका जिले के जामा प्रखंड में, दो ग्राम पंचायतों[3] के जिस सात मस्टर रोल के द्वारा ₹ 31,624 की मजदूरी का भुगतान किया गया, उनमें विशिष्ट पहचान संख्या को काटकर एवं उसके ऊपर लिखकर छेडंछाड की गई थी जबकि पश्चिम सिंहभूम जिला मेसो में छः मस्टर रोल जिस पर मई 2008 से अगस्त 2009 के दौरान ₹ 0.76 लाख का व्यय हुआ, उनमें विशिष्ट पहचान संख्या अंकित नहीं थे।

---

1 पाकुड़ जिले में मदनमोहनपुर, सितापहाड़ी, नवादा, कुमारपुर, भवानीपुर, कालीदासपुर तथा रहसपुर एवम् दुमका जिले में हरिपुर, लाखीकुन्डी।

2 पाकुड़ सदर प्रखंड (7 ग्राम पंचायत, ₹ 8.66 लाख, 240 मस्टर रोल) तथा दुमका सदर प्रखंड (2 ग्राम पंचायत, ₹ 0.54 लाख, 10 मस्टर रोल)।

3 ग्राम पंचायत: थानपुर तथा सिमरा।

- चार जिलों के 11 ग्राम पंचायतों[4] से संबंधित 55 मस्टर रोलों में एक ही अवधि में दो/तीन बार कार्यरत 238 मजदूरों को दिखाया गया जिसके कारण ₹ 2.11 लाख के मजदूरी का फर्जी भुगतान किया गया।

  प्रखण्ड विकास पदाधिकरियों (चक्रधरपूर, पश्चिमी सिंहभूम, सदर ब्लॉक, दुमका तथा भरनो, गुमला) ने जून 2012 में जवाब दिया कि इस मामले की जाँच की जाएगी। जबकि सदर प्रखंड पलामू के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था।

प्रखंडों एवं ग्राम पंचायतों के नमूना जाँच के दौरान मस्टर रोल में अन्य विभिन्न कमियाँ पाई गई

- गुमला जिले के सिसई प्रखंड के बोन्डो ग्राम पंचायत में समान विशिष्ट पहचान संख्या वाली समान मस्टर रोल की दो प्रतियाँ एक ही समय में समान मजदूरों के समान कार्यों के लिए दुबारा प्रयुक्त हुई थी। ₹ 3,840 का दूसरा भुगतान कपटपूर्ण तरीके से किया गया था। इसी प्रकार, पलामू जिले में सदर प्रखंड के पोलपोल ग्राम पंचायत में विभिन्न मजदूरों के समूहों के लिए समान मस्टर रोल की दो प्रतियाँ एक ही कार्य के अंतर्गत एक ही अवधि के लिए दो बार प्रयोग में लाई गई तथा ₹ 10,098 का भुगतान किया गया जो कपटपूर्ण भुगतान था। इस प्रकार कुल ₹ 13,938 का जो भुगतान किया गया वह धोखे से आहरित की गई प्रतीत होती है।

- पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड के सीतापहाड़ी ग्राम पंचायत में नगरनबी डाकघर में ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा भुगतान हेतु तैयार किए गए तीन एडवाइसों में, से 55 मजदूरों के नाम 46 मस्टर रोलों में अंकित 163 मजदूरों के नाम से भिन्न थे। जिसके फलस्वरूप 163 मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न होने के अलावे 55 अन्य व्यक्तियों को ₹ 2.19 लाख का कपटपूर्ण भुगतान हुआ। उसी प्रकार दुमका जिले के सदर प्रखंड के रामपुर ग्राम पंचायत में कुरवा डाकघर के एडवाइस के अनुसार छ: ऐसे व्यक्तियों को ₹ 8,784 का कपटपूर्ण भुगतान हुआ जो चार मस्टर रोल में दर्ज 20 अन्य नामों से भिन्न थे।

- सात ग्राम पंचायतों[5] में 29 मस्टर रोल पर 95 मामले ऐसे पाए गए जिसमें हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नहीं थे यद्यपि, इन मजदूरों को ₹ 0.52 लाख का भुगतान किया गया था।

  प्रखंड विकास अधिकारी (जरमुंडी तथा कांके) ने (जून-अगस्त 2012) में लेखापरीक्षा के अवलोकनों को स्वीकार किया।

---

[4] पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के चार ग्राम पंचायत, पलामू जिले के सदर प्रखंड के एक ग्राम पंचायत, दुमका जिले के सदर प्रखंड का एक ग्राम पंचायत तथा गुमला जिले के भरनो प्रखंड के पाँच ग्राम पंचायत।

[5] ग्राम पंचायतों ठेकचा घोंघा, सिंघनी, शंकरपुर (दुमका जिला का जरमुन्डी प्रखंड), जोड़ापोखर तथा चोया (पं सिंहभूम जिला का झींकपानी प्रखंड) तथा अरसान्डे (कांके प्रखंड, राँची जिला) तथा राँची के अनगारा प्रखंड का अनगारा ग्राम पंचायत।

- पाँच प्रखंडों[6] के 21 ग्राम पंचायतों में 376 मस्टर रोल के द्वारा ₹ 22.08 लाख का भुगतान मजदूरों को किया गया जिसमें भुगतान प्राधिकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी (पंचायत सेवक एवं मुखिया) के हस्ताक्षर नहीं थे।

- कसीरा ग्राम पंचायत[7] में 17 मस्टर रोल के विरूद्ध 17 मजदूरों को ₹ 65,640 का भुगतान हुआ जिनके नाम मस्टर रोल पर दर्ज नहीं थे।

- 46 ग्राम पंचायतों[8] एवं दो लाइन विभागों (डी.एफ.ओ., पाकुड़ तथा डी.एफ.ओ. (क्षेत्रीय) दुमका) में 331 मस्टर रोल की महत्वपूर्ण सूचनाओं में छेडछाड़ की गई जैसे कि मजदूरों के नाम, जॉब-कार्ड संख्या, मजदूरों की कार्य अवधि बिना किसी के प्रमाणित किए हुए ही करेक्शन फ्लूड द्वारा तथा काटकर/दुबारा लिखकर छेडछाड़ की गई और जिसमें ₹ 18.48 लाख की मजदूरी का भुगतान सम्मिलित था।

  डी.एफ.ओ. (पाकुड़) ने अगस्त 2012 में जवाब दिया कि मामले की जाँच की जाएगी जबकि डी.एफ.ओ. (क्षेत्रीय) दुमका ने उक्त अवलोकनों को स्वीकार किया (अगस्त 2012) तथा जवाब में कहा कि मस्टर रोल की रख रखाव के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति वन रक्षक/सहायक थे उनके पास पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता नहीं थी।

- चार जिले के 12 ग्राम पंचायतों[9] में 85 मस्टर रोल के द्वारा ₹ 5.35 लाख का भुगतान किया गया जिसमें मजदूरों के कार्य की अवधि का विवरण नहीं था।

- परिचालन मार्गदर्शिका 2008 के अनुसार (कंडिका 9.4.1) मस्टर रोल विहित प्रारूप[10] में होना चाहिए जिसमें उपस्थिति दर्ज करने के लिए सात दिनों का कॉलम बना हो तथा मस्टर रोल के शीर्ष पर यह निर्देश छपा हो कि "श्रमिक दिन वाले कॉलम में अपने हस्ताक्षर करें या बायें हाथ के अंगूठे का निशान दें" जबकि, हमने यह पाया कि पाकुड़ तथा पं.सिंहभूम जिले में 7 दिन वाले कॉलम के बदले 15 दिन वाले कॉलम के मस्टर रोल की छपाई कर उपयोग में लाया गया। इसी

---

6 सिसई, भरनों (गुमला जिला), पलामू सदर, चैनपुर (पलामू जिला), बोरेया (कांके प्रखंड, राँची)।

7 गुमला जिला का सदर प्रखंड।

8 चैनपुर प्रखंड (पलामू) के पाँच ग्राम पंचायत, लेस्लीगंज प्रखंड के चार ग्राम पंचायत, पलामू सदर के तीन ग्राम पंचायत, भरनो के नौ ग्राम पंचायत, सिसई के सात ग्राम पंचायत तथा सदर प्रखंड (गुमला) के तीन ग्राम पंचायत, कांके प्रखंड (राँची) के चार ग्राम पंचायत, जामा सदर (दुमका) के पाँच ग्राम पंचायत, पाकुड़ सदर (पाकुड़) के तीन ग्राम पंचायत, चक्रधरपुर प्रखंड (पं सिंहभूम) के तीन ग्राम पंचायत।

9 पं.सिंहभूम के झींकपानी प्रखंड का टुटुंगुटु ग्राम पंचायत, जरमुंडी प्रखंड के थेकचाघोंचा ग्राम पंचायत तथा दुमका के जामा प्रखंड के तीन ग्राम पंचायत, पलामू के पलामू सदर प्रखंड का चियांकी ग्राम पंचायत, राँची का कांके प्रखंड का अरसन्डे, मलसिरिंग, बोरेया, गागी ग्राम पंचायत, पं. सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड के दो ग्राम पंचायत।

10 अनुलग्नक बी-3 का परिचालन मार्गदर्शिका 2008 के अनुसार।

प्रकार दो जिलों[11] में अनुदेश 'अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु श्रमिक अपने हस्ताक्षर या बायें अंगूठे का निशान दिन वाले कॉलम में करें' की न ही मस्टर रोल पर छपाई की गई थी और न ही श्रमिकों की उपस्थिति के प्रमाण में हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लिया गया था। प्रतिदिन के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान के लिए मस्टर रोल पर उपलब्ध स्थान पर्याप्त नहीं था और इन कॉलम में केवल 'पी' या '1,2,3' लिखा[12] था जो दिशा-निर्देशों के विहित प्रारूप के विरूद्ध है।

इसी प्रकार दुमका जिले में 2007-12 में प्रयुक्त मस्टर रोल [13] में मजदूरों के बैंक/डाकघर खाता संख्या वाला कॉलम मुद्रित नहीं था जो कि परिचालन मार्गदर्शिका 2008 का उल्लंघन है जिसके कारण मजदूरी के भुगतान में पारदर्शिता का अनुरक्षण नहीं किया जा सका।

- दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के तीन ग्राम पंचायतों[14] में मस्टर रोल पर उल्लेखित मानव दिवस, कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्तिकों में मापी गई मानव दिवसों से मेल नहीं खाती थी।

मस्टर रोलों में पाई गई अनियमितताओं की चर्चा जिला कार्यक्रम समन्वयकों (दुमका, गुमला, पाकुड, पलामू तथा पं सिंहभूम) के साथ निकास बैठक में की गई जो जुलाई से अगस्त 2012 के दौरान आयोजित हुई थी। सभी जि.का.स. ने मस्टर रोल में पाई गई अनियमितताओं कों स्वीकार किया तथा यह जवाब दिया कि मामलों की जाँच की जाएगी, केवल पं सिंहभूम के जिला कार्यक्रम समन्वयक ने कोई जवाब नहीं भेजा।

6.2 मजदूरी का भुगतान

अधिनियम के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम मजदूरी दर पर मजदूरी का हकदार होगा। मजदूरी के भुगतान हेतु भुगतान आदेश संबंधित बैंक/डाकघर द्वारा शाखा प्रबंधक/पोस्टमास्टर को संबोधित करते हुए, इस अनुरोध के साथ निर्गत किया जाएगा कि श्रमिकों द्वारा मजदूरी का भुगतान, मांगे जाने पर किया जाए। मजदूरों को भुगतान की सूचना के लिए एक मजदूरी पर्चा भी तैयार किया जाएगा। मजदूरों को राशियों का वितरण उनके द्वारा या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मजदूरी पर्चा प्रस्तुत करने पर ही की जानी चाहिए।

छः नमूना जाँच वाले जिलों के अभिलेखों के जाँच से मजदूरी भुगतान में कई विसंगतियाँ पाई गई जैसा कि निम्नलिखित कंडिकाओं में वर्णित है:

---

[11] पाकुड़ (2007-12), दुमका का मस्टर रॉल संख्या 17001-398000।

[12] हस्ताक्षर या बांये अंगूठे का निशान चिह्नित करने के बदले केवल 'पी' (उपस्थिति का संक्षिप्त रूप) या 1,2,3, चिह्नित था।

[13] मस्टर रोल संख्या 163126 से 163876।

[14] हथनामा, पुतलीदाबेर तथा खारविला।

6.2.1 मजदूरी का भुगतान न होना

परिचालन मार्गदर्शिका 2008 के कंडिका 7.1.5 के अनुसार यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मजदूरी का भुगतान समय पर किया जाए। मजदूर, साप्ताहिक रूप से और किसी भी स्थिति में पूरा किए गए काम के 15 दिनों के अंदर, भुगतान का हकदार हैं (नरेगा, धारा 3(3))। मजदूरी भुगतान में किसी विलम्ब की स्थिति में मजदूर हर्जाने के हकदार हैं।

जबकि हमने छ: नमूना जाँच वाले जिले में से चार जिलों के अभिलेखों[15] की जाँच से यह पाया कि मई 2012 तक कार्य पूरा होने के 15 दिनों के बाद भी श्रमिकों को ₹ 4.92 लाख की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया जैसा कि **तालिका 11** में वर्णित है:

तालिका 11: श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान न होना

जिला	प्रखण्ड	ग्रा.पं.की सं.	योजनाएं	भुगतान की जाने वाली मजदूरी (₹ लाख में)
गुमला	सिसई	8	31	1.94
	लेस्लीगंज[16]	0	2	0.80
पलामू	सदर	2	5	1.30
पाकुड़	सदर	1	3	0.24
दुमका	सदर प्रखण्ड	4	4	0.40
	जामा	1	1	0.24
		16	**46**	**4.92**

इसके अलावे जिला कार्यक्रम समन्वयकों ने यह बताया कि कोई हर्जाने का भुगतान नहीं किया गया था। यह व्यवस्था की अकुशलता को दर्शाता है जिसपर ध्यान देने की जरूरत है।

जिला कार्यक्रम समन्वयक दुमका एवं पाकुड़ ने कहा (जुलाई 2012) कि मामलों की जाँच की जाएगी जबकि अन्य संबंधित जि.का. समन्वयक ने कोई जवाब नहीं दिया।

6.2.2 मजदूरी भुगतान में विलम्ब

परिचालन मार्गदर्शिका 2008 के *कंडिका 7.1* के अनुसार काम के तारीख से साप्ताहिक आधार पर तथा किसी भी स्थिति में पाक्षिक से अधिक नहीं हो, के मजदूरी भुगतान का प्रावधान है। मजदूरी भुगतान में देरी की स्थिति में मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 (नरेगा, अनुसूची II, धारा 30) के अनुसार श्रमिक हर्जाने के हकदार है, जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

[15] योजना अभिलेख, मस्टर रोल, बैंक/डाकघर भुगतान पर्ची।

[16] लेस्लीगंज एक प्रखण्ड है।

इसके विपरीत छः नमूना जाँच वाले जिलों के लेखा परीक्षा के दौरान हमलोगो ने पाया कि 2007-12 के दौरान 79 ग्राम पंचायतों के 324 कार्यों के लिए ₹ 2.15 करोड़ की राशि का श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान किया गया था, जो एक से 468 दिनों के बीच विलम्बित भुगतान था। जबकि अधिनियम के प्रावधानों के शर्तों के अनुसार राज्यों द्वारा श्रमिकों को कोई हर्जाना नहीं चुकाया जाना अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था ***(परिशिष्ट 6)***।

अप्रैल से जून 2012 के दौरान लाभुकों के सर्वेक्षण के क्रम में 1670 लाभुकों में से 601 लाभुकों ने मजदूरी भुगतान में विलम्ब की पुष्टि की थी।

इसके अलावा लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि झारखण्ड राज्य में रोजगार की माँग की घटती प्रवृति का एक कारण मजदूरी भुगतान में विलम्ब होना था। जैसा कि इन तथ्यों से स्पष्ट है कि रोजगार की पारिवारिक मांग की संख्या 2007-08 में 17.21 लाख थी जो 2011-12 में घटकर 15.69 लाख हो गई। उसी प्रकार नमूना जाँच वाले जिलों में उपर्युक्त समयावधि में रोजगार की परिवारिक माँग 6.09 लाख से घटकर 5.30 लाख रह गई। इस प्रकार समय पर मजदूरी भुगतान के अभाव में, जिविका सुरक्षा की सुनिश्चितता का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

इस मामले के संदर्भ में जुलाई से अगस्त 2012 के दौरान आयोजित निकास बैठक में जिला कार्यक्रम समन्वयकों[17] के साथ चर्चा की गई। जिला कार्यक्रम समन्वयकों (गुमला, पलामू, तथा पं. सिंहभूम) ने विलम्बित मजदूरी भुगतान की बात को स्वीकार किया (जुलाई-अगस्त 2012) जबकि अन्य ने कोई जवाब नहीं दिया था।

6.2.3 श्रमिकों को मजदूरी का कम भुगतान

परिचालन मार्गदर्शिका 2008 के *कंडिका 7.1.1* के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो इस योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर मजदूरी पाने के हकदार हैं जिसे बैंक या डाकघर के माध्यम से भुगतान किया जाना है। अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि:

- सरकार ने 2007-12 के दौरान मजदूरी दर के पुनरीक्षण को तीन बार[18] अधिसूचित किया था। पाँच प्रखंडों[19] के 16[20] ग्राम पंचायतों एवं पाँच लाइन विभागों[21] के नमूना जाँच में पाया गया कि 2008-11 के दौरान सरकार द्वारा

---

17 दुमका, गुमला, पाकुड, पलामू और पं. सिंहभूम।

18 2005-06 से ₹ 76, 1 जनवरी 2009 से ₹ 92, 2 जून 2009 से ₹ 99 तथा 1 जनवरी 2011 से ₹ 120

19 चैनपुर, चक्रधरपुर, जामा, कांके तथा सिसई प्रखंड।

20 सिकिटिया, लगला, अरसान्डे, बोरया, गागी, ओरनार, इतोर, हथिया, गोपीनाथपुर, बाइपी, कुलीटोरंग, बोन्डों, बरगॉव(उत्तर) रेखा, लेकिया तथा नगर (ग्राम पंचायत में ₹ 90 से ₹ 100 के बदले ₹ 92 से ₹ 120 मजदूरी भुगतान की गई।

21 जिला परिषद, दुमका, लघु सिंचाई प्रमण्डल गुमला, आर.डी.एस.डी. गुमला, डी.एफ.ओ. पाकुड, जिला परिषद राँची।

पुनरीक्षित मजदूरी दर का अनुपालन न करने के कारण 33,205 मानव दिवसों[22] के विरूद्ध मजदूरों को ₹ 2.28 लाख का कम भुगतान किया गया।

लैम्पस के द्वारा श्रमिकों को मजदूरी भुगतान करने के कारण मजदूरो को ₹ 8.81 लाख का कम भुगतान किया गया

- गुमला जिले के सिसई एवं भरनों प्रखंड के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि 2009-12 के दौरान श्रमिकों को ₹ 2.14 करोड का भुगतान "बृहदक्षेत्र बहुद्देशीय समिति[23] (लैम्पस)" द्वारा किया गया। लैम्पस ने सेवा शुल्क के रूप में भुगतान की गयी मजदूरी से चार से पॉच प्रतिशत की दर से कटौती की। उसके फलस्वरूप श्रमिकों को मजदूरी के रूप में ₹ 8.81 लाख का कम भुगतान हुआ। निकास बैठक के दौरान प्रधान सचिव ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (जुलाई 2012)। तथा यह जवाब दिया कि लैम्पस द्वारा सेवा शुल्क की वसूली नियम विरूद्ध है।

6.2.4 मेटों को मजदूरी का कम भुगतान

मेटों को अर्द्धकुशल श्रमिकों की तुलना में कम मजदूरी का भुगतान किया गया

परिचालन मार्गदर्शिका 2008 के कंडिका 6.4.4 के अनुसार मेटों की मजदूरी सामान्यत: अर्द्धकुशल श्रमिकों के मजदूरी के बराबर होनी चाहिए और किसी भी स्थिति में अकुशल श्रमिक के मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए।

हलांकि तीन नमूने जाँच वाले प्रखण्डों[24] तथा वन प्रमंडल, पाकुड़ में मेटों को ₹ 103.57 प्रतिदिन की दर से जबकि अकुशल श्रमिकों को ₹ 120 प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा था (जनवरी 2011 से)। इस प्रकार मेटों को मजदूरी का भुगतान अकुशल श्रमिकों की अपेक्षा कम दर पर की गई।

जिला कार्यक्रम समन्वयक, दुमका ने जवाब दिया कि सरकार द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया गया जबकि जिला कार्यक्रम समन्वयक, पाकुड़ ने लेखापरीक्षा अवलोकनों (जुलाई 2012) को स्वीकार किया। जि.का.स. पश्चिम सिंहभुम ने कोई जवाब नहीं दिया।

जिला कार्यक्रम समन्वयक, दुमका का जवाब अस्वीकार्य था क्योंकि मार्गदर्शिका के अनुसार मेटों को अर्द्धकुशल श्रमिकों के बराबर लेकिन अकुशल मजदूरो से कम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाना था ।

6.2.5 एकाधिक जॉब कार्ड का एक खाते में मजदूरी का भुगतान

परिचालन मार्गदर्शिका 2008 के कंडिका 7.2 के अनुसार संबंधित श्रमिकों/जॉब कार्डधारी द्वारा बैंक या डाकघर में खोले गए खातों में ही मजदूरी का भुगतान किया जाना है।

---

[22] 5 लाईन विभागों में 23027 मानव दिवस तथा 16 ग्राम पंचायतों में 10178 मानव दिवस।

[23] बृहत क्षेत्र बहुउद्देशीय समिति (लैम्पस) झारखंड कॉपरेटिव समिति 1935 के अंतर्गत पंजीकृत समिति है। इस समिति का लक्ष्य अपने सदस्यों को कृषि कार्य में सहायता तथा प्रोत्साहन देना है।

[24] चक्रधरपुर: ₹ 2,856 (16 मामले) जामा प्रखंड, दुमका तथा सदर प्रखंड, पाकुड़ ₹ 16,167 (27 मामले)।

जबकि दुमका जिला, सदर प्रखण्ड के 10 ग्राम पंचायतों में तथा पाकुड जिला के सदर प्रखंड के एक ग्राम पंचायत में मजदूरी भुगतान हेतु प्रत्येक जॉब कार्ड धारी का डाकघर में खाता नहीं खुला था। जिसके परिणामस्वरूप दुमका में 89 जॉब कार्ड धारी से संबंधित 1.19 लाख की मजदूरी की भुगतान 89 बैंक/डाकघर खातों के बजाय 44 डाकघर खातों तथा पाकुड़ जिला में 12 जॉब कार्ड धारी का ₹ 0.11 लाख की मजदूरी का भुगतान 12 बैंक/डाकघर खातों के बजाय पॉच डाकघर खातों में भेजा गया।

इसप्रकार अनियमित तथा कपटपूर्ण भुगतानों को रोकने के लिए भुगतान प्रक्रिया की जाँच की आवश्यकता है।

जि.का.स. (पाकुड़ तथा दुमका) ने (जुलाई 2012) लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया तथा यह जवाब दिया कि प्रत्येक श्रमिक को संयुक्त या एकल खाता रखना चाहिए।

6.2.6 बिना मजदूरी पर्ची निर्गत किए मजदूरी का भुगतान

परिचालन मार्गदर्शिका 2008 के कंडिका 7.2 के अनुसार भुगतान, बैंक/ डाकघर जो भी स्थिति हो, को जारी किए गए भुगतान आदेश के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अलावे श्रमिकों के सूचनार्थ मजदूरी पर्ची बनाया जाए। राशि का भुगतान मजदूरी पर्ची तथा श्रमिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निकास पर्ची के प्रस्तुत करने पर ही होना चाहिए।

तथापि लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि नमूना जाँच वाले जिले के 167 ग्राम पंचायतों में मजदूरों को मजदूरी पर्ची निर्गत नहीं की गयी थी। मजदूरी पर्ची के अभाव में मजदूरी का भुगतान दूसरे व्यक्ति को भुगतान किये जाने के जोखिम से परिपूर्ण है जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट है-

सभी नमूना जाँच वाले जिलों में मजदूरी पर्ची निर्गत नहीं की गई। जिसके अभाव में मजदूरी भूगतान, अयोग्य व्यक्तियों को किए जाने के जोखिम से परिपूर्ण है

- पं.सिंहभूम के झींकपानी प्रखंड में 10 श्रमिकों का बैंक एडवाइस, बैंकों[25] को भेजा गया परन्तु मस्टर रोल संख्या 02785 के अनुसार जुलाई 2010[26] के दौरान केवल 9 श्रमिक ही कार्यरत थे। यदि श्रमिको को मजदूरी पर्ची निर्गत की जाती तो ₹ 600 की काल्पनिक भुगतान को रोका जा सकता था।
- दुमका जिला में भिन्न-भिन्न जॉब कार्डो पर किए गए भुगतान को एक ही खाते में जमा किया गया जिसे मजदूरी पर्ची बनाकर रोका जा सकता था।

जिला कार्यक्रम समन्वयक (दुमका तथा पं. सिंहभूम) ने मजदूरी पर्ची के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (जुलाई-अगस्त 2012)।

---

[25] पंजाब नेशनल बैंक, झींकपानी- 9 श्रमिकों की मजदूरी की राशि तथा झारखण्ड ग्रामीण बैंक, जोरापोखर- 1 श्रमिक की मजदूरी की राशि।

[26] 4 जुलाई 2010 से 10 जुलाई 2010 की अवधि।

6.3 रोजगार सृजन

6.3.1 बेरोजगारी भत्ता का भुगतान न होना

परिचालन मार्गदर्शिका 2008 के कंडिका 1.4 (vi) के अनुसार आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करना है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाना है। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है।

हालांकि तीन जिलों[27] में हमने पाया कि 33 से 1218 दिनों के विलम्ब के पश्चात् 206 श्रमिकों को रोजगार दिया गया था जबकि 2007-11 के दौरान ₹ 22.63 लाख का उन्हें बेरोजगारी भत्ता का भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार लाभुकों को विधिवत सुनिश्चित रोजगार के लाभ के साथ-साथ बेरोजगारी भत्ते से भी वंचित रखा गया।

जवाब में जिला कार्यक्रम समन्वयक राँची (सितम्बर 2012) ने जवाब दिया कि संबंधित प्रखंडों से इस संबंध में कारण प्रेषित करने के लिए कहा गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चैनपुर ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जबकि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी भरनो ने जवाब दिया कि संबंधित पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

6.4 निष्कर्ष

मस्टर रोल के संधारण हेतु विहित नियम का सख्ती से अनुपालन नहीं किया गया था, जिसके कारण अनेक कमियाँ पायी गई, जैसे कार्यक्रम पदाधिकारी से निर्गत हुए बिना मस्टर रॉल का प्रयोग, अनियमित प्रारूप वाले मस्टर रॉल का प्रयोग, कपटपूर्ण मजदूरी भुगतान इत्यादि। श्रमिकों को मजदूरी पर्ची निर्गत कर मजदूरी का समय पर एवं पर्याप्त भुगतान भी सुनिश्चित नहीं किया गया था । लाभुकों को विधिवत सुनिश्चित रोजगार के लाभ के साथ-साथ बेरोजगारी भत्तों से भी वंचित रखा गया।

6.5 अनुशंसाएँ

- मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए मस्टर रोल हेतु विहित मानक का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए;
- सरकार को मजदूरी का ससमय भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए ऐसा न हो पाने पर मुआवजा का भुगतान किया जाना चाहिए;

[27] गुमला, पलामू तथा राँची।

- मजदूरों को योजना मार्गदर्शिका के अनुसार मजदूरी पर्ची निर्गत किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए; और

- रोजगार मांगे जाने पर सरकार को रोजगार का प्रावधान सुनिश्चित करना चाहिए और ऐसा न होने पर बेरोजगारी भत्तें का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।